

19/1/24
आज यह प्रभावली प्रार्थी मंडल लाल आदि तरफ
परिषद वकील प्रा. पत्र अ. नं. 151, 152 CPC का
उत्तुतकार निवेदन क्रिमा. कि उक्त उकरण हे प्रारित
निजीय दिनांक 09/1/24 में एक प. 5 पीएस के
स्थान पर 6 वक हाकरी अंकित किया गया जिस
का इस्तेमाल कर एक हाकरी के स्थान पर 5 पीएस
अंकित किया जावे।

अतः प्रार्थी के प्रा. पत्र पर प्रभावली का अन्वेषण
क्रिया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया। अवलोकन
पर गया कि निजीय दिनांक 09-01-2024 के पृष्ठ
2 के क्रियान्वयन आदेश के अंकित संख्या 3 में
एक हाकरी के स्थान पर एक प. 5 पीएस बनाया।
शेष अंकित ~~अवकाश~~ अंतर्गत प्रभावली रहेगा। ए. ए.
आदेश तहसील रा. रामसिंहनगर के माध्यम से
हो। प्रा. पत्र के साथ सुनाए लेंगे। आशुतोष मिश्र
रहे।

आदेश सुनाया गया

उपजण्ड अधिकारी
रामसिंहनगर

